



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082022-237961
CG-DL-E-05082022-237961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3536]
No. 3536]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SHRAVANA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

का.आ. 3703(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 17 के खंड (2) के पहले परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शर्तें अधिसूचित करती हैं, अर्थात् :-

- कर्मचारी, नियोजक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा—
 - कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य की कोविड-19 पॉजीटिव रिपोर्ट या चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट, यदि किसी अस्पताल में या आंतरिक रोगी प्रसुविधा में भर्ती ऐसे व्यक्ति का उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा अन्वेषणों के माध्यम से कोविड-19 पोजिटिव होना नैदानिक रूप से अवधारित किया गया;
 - कोविड-19 पॉजीटिव के रूप में अवधारित होने की तारीख से छह मास के भीतर कोविड-19 या कोविड-19 से संबंधित बीमारी से पीड़ित कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के चिकित्सा संबंधी निदान या उपचार के सभी आवश्यक दस्तावेज़; और
 - कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के कोविड-19 या कोविड-19 से संबंधित बीमारी के उपचार पर उपगत सभी व्ययों की बाबत कोई प्रमाणीकरण।

2. यह अधिसूचना, 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी मानी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 90/2022/फा. सं. 370142/31/2022-टीपीएल (भाग-2)]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव, कर नीति और विधान प्रभाग

टिप्पण : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देकर किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2022

S.O. 3703(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (c) of clause (ii) of the first proviso to clause (2) of section 17 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following conditions, namely:-

1. The employee shall submit the following documents to the employer, –
 - (i) the COVID-19 positive report of the employee or family member, or medical report if clinically determined to be COVID-19 positive through investigations, in a hospital or an in-patient facility by a treating physician of a person so admitted;
 - (ii) all necessary documents of medical diagnosis or treatment of the employee or his family member for COVID-19 or illness related to COVID-19 suffered within six months from the date of being determined as COVID-19 positive; and
 - (iii) a certification in respect of all expenditure incurred on the treatment of COVID-19 or illness related to COVID-19 of the employee or of any member of his family.
2. This notification shall be deemed to have come into force from the 1st day of April, 2020 and shall apply in relation to the assessment year 2020-2021 and subsequent assessment years.

[Notification No. 90 /2022/F. No. 370142/31/2022-TPL (Part-2)]

UMME FARDINA ADIL, Under Secy., Tax Policy and Legislation Division

Note : It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification